भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *56

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

अलमाटी बांध

***56. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न राज्यों ने अलमाटी बांध की ऊंचाई पर आपत्ति जताई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसका अध्ययन करने के लिए एक अंतर-राज्यीय तकनीकी दल का गठन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर-राज्यीय जलमग्नता की समस्या से बचाव हेतु अलमाटी बांध की ऊंचाई कम करने के लिए कोई कदम उठाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'अलमाटी बांध' के संबंध में दिनांक 06.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *56 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): अलमाटी बांध की मूल रूप से परिकल्पित ऊंचाई पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) के साथ 524.256 मीटर थी। फिर भी, दिनांक 31.05.2000 को माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अंतर्गत ऊपरी कृष्णा परियोजना चरण-।। (जिसमें अलमाटी बांध शामिल है) को 519.6 मीटर के एफआरएल के साथ 173 टीएमसी जल के प्रयोग हेतु सशर्त मंजूरी प्रदान की गई थी। कर्नाटक राज्य ने अलमाटी बांध में 524.256 मीटर के एफआरएल स्तर तक जल के भंडारण हेतु रेडियल गेट्स लगाए गए जिससे उसकी ऊंचाई कम करके 519.6 मीटर कर दी गई थी, जिस पर इस समय अलमाटी बांध कार्य कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, अंतर राज्य नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के अंतर्गत गठित कृष्णा जल विवाद अधीकरण-।। (केडब्ल्यूडीटी-।।) की सुनवाई के दौरान अलमाटी बांध की ऊंचाई 519.6 मीटर से 524.256 मीटर तक बढ़ाने के बारे में जैसा कि कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था और योजना बनाई थी, को लेकर महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश की राज्य सरकारों ने अपनी सहमति देने से इंकार कर दिया था। महाराष्ट्र राज्य ने कृष्णा जल विवाद अधीकरण-।। के समक्ष याचना रखी गई कि अलमाटी बांध के एफआरएल में बढ़ोत्तरी के कारण, महाराष्ट्र का क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, पूर्ववर्ती आंध्रप्रदेश राज्य ने यह भी याचना की कि अलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ने से उनके राज्य का निचला कृषि योग्य क्षेत्र आवश्यक जल प्रवाह की मात्रा प्रदान नहीं किए जाने के कारण जल प्रवाह से वंचित हो जाएगा, जिससे उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

उपर्युक्त अधिकरण द्वारा दोनों राज्यों की आपत्तियों को सुनने तथा, तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद और अलमाटी बांध और हिप्पारगी बैराज में वास्तविक अवसादन के बारे में जल विज्ञान सर्वेक्षण संबंधी रिपोर्ट के आधार पर, अधिकरण द्वारा आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम 2010 की धारा 5(2) के अंतर्गत यह निर्णय किया कि दोनों राज्यों द्वारा जताई गई आशंका सही और वैध नहीं है। तदनुसार, उपर्युक्त अधिकरण द्वारा अलमाटी बांध का जल स्तर 524.256 मीटर एफआरएल पर रखे जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। फिर भी, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संबंधित मामलें में दिए गए स्टे ऑर्डर के कारण, आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 5(3) के अंतर्गत, केडब्ल्यूडीटी-।। की अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है।

केडब्ल्यूडीटी-।। द्वारा आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 5(2) के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने से अब तक, केंद्र सरकार द्वारा कृष्णा बेसिन राज्यों से अलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर की गई आपत्ति के बारे में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए, किसी भी तकनीकी दल के गठन अथवा अलमाटी बांध की उंचाई कम करने के लिए उठाए गए किसी कदम का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

*****